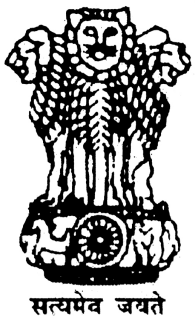

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 363 राँची, गुरुवार, 11 ज्येष्ठ, 1938 (श०)

1 जून, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

6 दिसम्बर, 2016

विषय:- **खरीफ विपणन मौसम 2016-17 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को रूपये 130.00 प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस हेतु कुल रूपये 52.00 करोड़ राशि की स्वीकृति के संबंध में।**

संख्या:- खा.प्र. 02 अधि.- बोनस 01/2016 - 4974-- धान उत्पादक किसानों को उनके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने तथा राज्य को धान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011-12 से धान अधिप्राप्ति योजना प्रारंभ की गई है।

2. राज्य के किसानों से खरीफ विपणन मौसम 2016-17 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे धान की अधिप्राप्ति करने हेतु भारतीय खाद्य निगम, नाकोफ (National Federation of Farmers's Procurement, Processing & Retailing Cooperatives of India, Ltd.) एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर्स NCML को अधिप्राप्ति एजेन्सी तथा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड नोड्ल अभिकरण नामित किया गया है।

3. खरीफ विपणन मौसम 2016-17 में धान अधिप्राप्ति का कार्य राज्य के पलामू, दक्षिणी छोटानापुर एवं कोल्हान प्रमंडल में भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वयं अथवा प्राईवेट प्लेयर्स के सहयोग से किया जायेगा। संथाल परगना प्रमण्डल एवं उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल (रामगढ़ जिला को छोड़कर) में अधिप्राप्ति NACOF द्वारा किया जायेगा। रामगढ़ जिला में अधिप्राप्ति का कार्य झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। खरीफ विपणन मौसम 2016-17 में 4,00,000 (चार लाख) मे॰ टन का लक्ष्य रखा गया है।

4. राज्य के किसानों को उनके उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने, अधिप्राप्ति में उनकी पूर्ण सहभागिता के लिए उन्हें प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिए खरीफ विपणन मौसम 2016-17 के अन्तर्गत अधिप्राप्ति कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,470 रूपये प्रति क्विंटल साधारण एवं 1,510 रूपये प्रति क्विंटल ग्रेड ''ए'' के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 130.00 रूपये की दर से बोनस भुगतान का निर्णय लिया गया है।

5. राशि की निकासी बजटीय उपबंध के तहत मुख्यशीर्ष-3456-सिविल पूर्ति-लघुशीर्ष- 796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना/102-सिविल पूर्ति योजना-/789- अनुसूचित जातीयों की विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-52-धान अधिप्राप्ति हेतु बोनस भुगतान-06 अनुदान-52 सब्सिडी (18P345600796/102/789520652) से की जायेगी।

6. राज्य के किसानों को विभाग द्वारा अधिप्राप्ति कार्य के लिए दी जाने वाली उक्त बोनस की राशि का एकमुश्त निकासी कर नोडल अभिकरण झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा। किसानों को नियमित एवं ससमय भुगतान हेतु नोडल अभिकरण द्वारा राशि प्राप्त होते ही अग्रिम के रूप में कुल लक्ष्य पर खर्च होने वाले बोनस की कुल राशि का 20 प्रतिशत राशि अधिप्राप्ति एजेन्सियों (भारतीय खाद्य निगम, नाकोफ एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राधिकृत प्राईवेट प्लेयर्स NCML) को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसके बाद प्रत्येक सप्ताह में किसानों को भुगतान किये गये बोनस से संबंधित प्रतिवेदन के आधार पर प्रत्येक सप्ताह के अन्त में अधिप्राप्ति एजेन्सियों को नोडल अभिकरण द्वारा राशि उपलब्ध करायी जायेगी। अग्रिम राशि का समायोजन अधिप्राप्ति अवधि के अंतिम महीना में कर लिया जायेगा।

7. अधिप्राप्ति एजेन्सियों द्वारा वितरित किये गये बोनस का लेखा जोखा/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि की पूर्ण जिम्मेदारी नोडल अभिकरण झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की होगी। नोडल अभिकरण द्वारा खरीफ विपणन मौसम के अन्त में लेखा का संधारण किया जायेगा।

8. उक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 29 नवम्बर, 2016 की बैठक की मद संख्या-11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 363--100